

प्रति,

के.के. सिन्हा  
सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

सुभानिदेशक  
विश्वविद्यालय एवं स्वायत्त  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विक्रमिता अनुभाग-11

संख्या: दिनांक: 15 मार्च, 2000

विषय:- उपचारिका संख्या के कर्मियों की छुट्टी का निर्धारण।

:-----:

गहोटेय,

उपरोक्त विश्वविद्यालय शासनादेश संख्या-6478/5-11-99-एन/621/98 दिनांक 04 दिसम्बर, 2000 जिकाे द्वारा नर्सिंग संकाय के कर्मिक पदों पर कार्यरत कर्मियों के लिये कर्मिक प्रतिबन्धों के साथ पूर्व में निर्धारित छुट्टी स्लैब को भी शामिल किया गया था, के अम में मुझे यह बताने का निर्देश हुआ है कि शासन के तन्मक विचारोपरान्त तन्मक शासनादेश दिनांक 04 दिसम्बर, 2000 में निम्नानुसार तन्मक/संशोधन करके का निर्णय लिया है:

1. स्लैब को अनुसन्धान पूर्व नर्सिंग संकाय के लिये होगी, जिकमें कार्यरत भी सम्मिलित हैं।
2. स्लैब हाफ स्वीच एवं कानून तन्मक होगा।
3. स्लैब के साथ धन लगाना रेचिक होगा, लेकिन अन्य कार्यों जैसे कि आपरेसन इत्यादि के तन्मक पूर्व निर्धारित व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

यह आदेश तन्मक प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय

के.के. सिन्हा  
सचिव

संख्या- 11/5-11-2000 तददिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, विक्रमिता उपचार, स्वायत्त अमन, लखनऊ को सुफार्व एवं जाव्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

जयशंकर  
जयशंकर श्रीवास्तव  
अम सचिव